न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 01/2020 दायरा दिनांक : 11.01.2018

उनवान

1– मांगी बाई पत्नी प्यारे लाल

2– कैलाशचंद पुत्र प्यारे लाल

3– हीरालाल पुत्र प्यारे लाल

4– बीरम पुत्र बद्रीलाल

5– मोहनलाल पुत्र बद्रीलाल

6– ललता बाई पत्नी बिरधीचंद निवासी– काखरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– गुलाब बाई पत्नी परमानन्द जाति लोधा

2– गुलाबचंद पुत्र श्रीलाल जाति लोधा निवासी गंगाहोनी तह0 मनोहरथाना जिला झालावाड़ राज0

3– जगन्नाथ पुत्र श्रीलाल

4– रमेशचंद पुत्र प्यारेलाल

5– आशीबाई पुत्री श्रीलाल पत्नी मथुरालाल निवासी भोजपुर तह0 मनोहरथाना जिला झालावाड़ राज0

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री संजय पाटौदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सावन शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :17.12.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या –84/दावा/09 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.2015 निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 09.09.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ग्राम गंगा होनी के निवासीगण है तथा इनके पिता एवं पितामेह श्रीलाल के खाते की एवं कब्जे की आराजीयात गांव गंगा होनी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड में स्थित है जिसमें समस्त अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स कोशेयरर है और मालिक एवं काबिज है। श्रीलाल के तौर पर परमानन्द की पत्नी गुलाब बाई ने एक दावा धारा 53 टीनेन्सी एक्ट के तहत श्रीलाल की आराजीयात को बटवारे हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहर थाना के समक्ष दिनांक 26.06.2009 को प्रस्तुत किया। जिसमें श्रीलाल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई दौरान दिनांक 02.02.2016 को श्री बद्री लाल फौत हो गये और दिनांक 06.07.2013 को प्यारे लाल का स्वर्गवास हो गया तथा सुनवाई के दौरान गुलाबचंद के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो अमल में ले लिया गया जैसा कि वादपत्र में अंकित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मुकदमें का निस्तारण केम्प कोर्ट में किया गया है और निस्तारण के समय समस्त प्रतिवादीगण मौजूद नही थे उसके बाबजूद भी लोक अदालत के माध्यम से दावे का निस्तारण गलत रूप से गुलाब बाइ को नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से निर्णित कर दिया गया जबकि दिनांक 02.02.2016 को बद्रीलाल का स्वर्गवास हो गया लेकिन उनके स्थान पर उनके बेटे बीरम पुत्र बंद्रीलाल एवं मोहनलाल पुत्र बद्रीलाल को कायम मुकामान नही बनाया गया और न ही रिर्कार्ड पर लिया गया। दौराने मुकदमा प्यारेलाल पुत्र श्रीलाल का स्वर्गवास दिनांक 06.07.2013 को हो गया था लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मांगी बाई पुत्र कैलाशचंद, हीरालाल तथा पुत्री ललिता बाई को कायमुकामान नही बनाया गया न ही रिकार्ड पर लिया गया जैसा कि आदेशिकाओं से प्रमाणित होता है कि दिनांक 30.04.2013 के बाद पत्रावली सुनवाई में दिनांक 10.02.2015 को आयी और इस दौरान क्या हुआ यह पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त बद्रीलाल की मृत्यु 02.02.2016 को हुई तथा पत्रावली 20.07.2015 के बाद से सीधी दिनांक 09.09.2017 को सुनवाई में ली गई और उस दिन विभाजन की डिक्री पारित कर दी गई।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
अपील प्राधिकारी

उक्त डिक्री दिनांक 09.09.2017 को पारित की गई, जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि मृतक प्यारेलाल एवं मृतक बद्रीलाल के कायममुकामान को रिकार्ड पर नही लिया गया है और मूल डिक्री में भी उत्तराधिकारान का (कायमुमामान) का नाम अंकित नही किया गया है। वादिनी गुलाब बाई पत्नी परमानन्द ने लोक अदालत में गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए तथा गलत लोगों के हस्ताक्षर कराकर दावे की डिक्री करा ली और डिक्री की क्रियान्विति भी करवा ली। जबकि प्यारेलाल के उत्तराधिकारियों को इस डिक्री की कोई जानकारी नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मृतक बद्रीलाल एवं प्यारेलाल के विरूद्ध डिक्री पारित की गई है वह विधि संगत नही है और कानूनी रूप से शून्य प्रभावी है। क्योंकि किसी भी मृतक के विरूद्ध न तो कोई डिक्री पारित की जा सकती है न ही पारित की गई डिक्री की क्रियान्विति की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना द्वारा की गई समस्त कार्यवाही एवं डिक्री तथा उक्त डिक्री के आधार पर तहसीलदार द्वारा की गई पालना कानूनी रूप से शून्य प्रभावी है तथा अपीलांट के विरूद्ध प्रभावहीन है। अपीलांट्स को उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना द्वारा पारित की गई डिक्री की जानकारी दिनांक 20.11.2017 को हुई जब रेस्पो0 (वादी) गुलाब बाई ने मौके पर जाकर उक्त आराजीयात मेंसे सबसे बडिया आराजयात पर अपना कब्जा कर लिया। और यह जाहिर कर दिया कि मुझको डिक्री के आधार पर तहसीलदार मनोहरथाना ने काबिज करवाया है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमें का निस्तारण कैम्प कोर्ट में किया गया है। निस्तारण के समय प्रतिवादीगण मौजूद नहीं थे। उसके बाबजूद दावे का निस्तारण गलत रूप से गुलाब बाई को नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से निर्णय पारित कर दिया

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन उपखण्ड अपील प्राधिकारी
लोढ़ा (राज.)

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्यारेलाल व बद्रीलाल के विरूद्ध डिक्री पारित की गई वह विधि संगत नहीं है और कानूनी रूप से प्रभाव शून्य है क्योंकि मृतका के विरूद्ध न तो काई डिक्री पारित की जा सकती है, और न ही पारित की गई डिक्री की कियान्विति की जा सकती है। अतः वाद संख्या 84/2009 में पारित डिक्री दिनांक 09.09.2017 को प्रभाव शून्य घोषित कर वाद को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस में अपील के तथ्यों का खण्डन किया।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद राजीनामा पर वादी व प्रतिवादीगण सभी की सहमति नहीं है। राजीनामे पर रमेश नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर, जो दावे में पक्षकार ही नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि वाद में प्रतिवादी संख्या 2 बद्रीलाल की मृत्यु दिनांक 02.02.2016 को व प्रतिवादी संख्या 4 प्यारेलाल की मृत्यु दिनांक 06.07.2013 को हो चुकी थी लेकिन पत्रावली में मृतकों के कायममुकामानात नहीं बनाये गये। राजीनामे में मृतकों को पक्षकार बनाया जाना विधिनुकूल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुसार सही नहीं होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.2015 निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 09.09.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं मृतकों के कायममुकाम बनाकर नये सिरे से विधि सम्मत् निर्णय पारित करे। पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.02.2021 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा